



**PEARL**  
**Polymers Limited**

**PET**  
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE  
**JARS**  
**BOTTLES**

Regd. Off. : A-97/2, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020, India  
CIN NO. : L25209DL1971PLC005535  
Tel. No. : +91-11-47385300, Fax, +91-11-47480746  
Email : [pearl@pearlpet.net](mailto:pearl@pearlpet.net), Website: [www.pearlpet.net](http://www.pearlpet.net)

PPL/SD/PR/ 2019-20

07<sup>th</sup> November, 2019

<p>The Manager, Listing Department National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor Plot No. C1, G Block Bandra, Kurla Complex Bandra (East), Mumbai- 400051 (Stock Code: PEARLPOLY)</p>	<p>The Manager, Listing Department BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai-400001 (Stock Code: 523260)</p>
--	---

**Sub: Submission of Copies of Newspaper**  
**Ref: Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure**  
**Requirements) Regulations, 2015**

Respected Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the Notice in respect of the Board Meeting to be held on 14<sup>th</sup> November, 2019 inter alia to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the Quarter/Half Year ended on 30th September, 2019 in the following Newspapers:

- a) English Language National daily Newspaper: "Financial Express" dated November 07, 2019.
- b) Regional Language Daily Newspaper: "Hari Bhoomi" dated November 07, 2019.

We request you to kindly take this information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Pearl Polymers Limited



  
Vinod Gupta

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above



**खबर संक्षेप**

**घूस लेने के आरोप में तीन पुलिसकर्मी अरेस्ट**  
ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) ने घूस की मांग करने और स्वीकार करने के आरोप में एक उप निरीक्षक सहित तीन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बुधवार को इस बारे में बताया। ठाणे एसीबी के अतिरिक्त अधीक्षक मुकुंद हटोटे ने बताया कि जिले के कल्याण तालुका के महात्मा फुले थाने में भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून की धारा सात (लोकसेवक के घूस लेने) के तहत तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि उप निरीक्षक हरीश कांबले (34), पुलिस हवलदार अंकुश नरवाने (57) और पुलिस नायक भात खोंडे (49) ने शिकायतकर्ता से फर्जी मामला दर्ज नहीं करने के लिए पांच लाख रुपये घूस की मांग की थी।

**सैन्य सूचनाएं लीक करने के आरोप में जवान अरेस्ट**  
जयपुर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की महिला एजेंट के झरोसे आकर सामरिक महत्व की सूचनाएं लीक करने के आरोप में पुलिस ने सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया है। खुफिया विभाग के सूत्रों ने बताया कि सीआईडी इंटेलिजेंस ने आईएसआई की महिला एजेंट के मोबाइल में फंसकर भारतीय सेना की सामरिक महत्व की सूचनाएं साझा करने के आरोप में पोकरण में तैनात जवान विचित्र बेहरा को गिरफ्तार किया गया है। बेहरा की गतिविधियां संदिग्ध होने की जानकारी मिलने पर सीआईडी इंटेलिजेंस ने उसकी गतिविधियों की निगरानी की। इस दौरान जानकारी में आया कि विचित्र बेहरा पाकिस्तानी एजेंट से फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से निरन्तर सम्पर्क में है तथा सूचनाएं साझा कर रहा है।

**चक्रवाती तूफान 'महा' के खतम होने का अनुमान**  
अहमदाबाद। गंभीर चक्रवाती तूफान 'महा' हो सकता है कि गुजरात तट पर दस्तक नहीं दे और गुरुवार शाम तक कमजोर पड़कर इसके 'अवदाब' के रूप में अरब सागर में खत्म हो जाने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी। अगर यह अनुमान सही साबित हुआ तो यह आम लोगों और प्रशासन के लिये बड़ी राहत की बात होगी। हालांकि 'महा' अभी भी 'गंभीर चक्रवाती तूफान' का रूप धारण किये हुए है और पूर्वी-मध्य अरब सागर के ऊपर मंडरा रहा है। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पोरबंदर तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर है।

**पुणे में गुडविन ज्वेलर्स के खिलाफ मामला दर्ज**  
पुणे (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने 88 जमाकर्ताओं से शिकायत मिलने के बाद गुडविन ज्वेलर्स के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। आरोप है कि आभूषण समूह ने उनसे तीन करोड़ रुपये से अधिक रकम की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। आभूषण समूह ने ठाणे, पालघर, मुंबई एवं राज्य के अन्य हिस्सों में मौजूद अपनी दुकानों को दिवाली से कुछ दिन पहले बंद कर दिया है।

**शताब्दी ट्रेनों में अब आधा लीटर रेल नीर ही मिलेगा**


एजेंसी नई दिल्ली। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए रेलवे ने शताब्दी ट्रेनों में एक लीटर की जगह आधा लीटर रेल नीर (पानी की बोतल) मुहैया कराने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के मुताबिक शताब्दी ट्रेन में अब पांच घंटे से अधिक सफर करने वालों को भी एक लीटर रेल नीर की बोतल मुहैया नहीं करायी जाएगी जैसा कि पहले होता था। शताब्दी ट्रेन को अधिकतम सफर तय करने में महज साढ़े आठ घंटे लगते हैं। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मौजूदा समय में शताब्दी से जो यात्री पांच घंटे तक का सफर करते हैं, उन्हें आधा लीटर (500 मिली लीटर) रेल नीर मुहैया कराया जाता है जबकि पांच घंटे से अधिक सफर करने वाले

**जेपी समूह को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश**  
**जेपी इंफ्रा लि. की दिवाला समाधान प्रक्रिया 90 दिन में पूरी की जाए**

एजेंसी नई दिल्ली। जेपी समूह को बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को जेपी इंफ्राटेक लि. की कांफॉरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 90 दिन में पूरी करने का आदेश दिया और कहा कि परिवर्तित समाधान योजना सिर्फ एनबीसीसी और सुरक्षा रियल्टी से ही मंगायी जाएगी। शीर्ष अदालत ने कहा एनसीएलटी (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण) या एनसीएलएटी के समक्ष अंतरिम निर्देश के लिये लॉबिंग अर्जी समेत अन्य आवेदन इन दो बोली लगाने वालों से संशोधित समाधान योजना स्वीकार करने और उस पर कार्रवाई करने के मामले में दिवाला समाधान प्रक्रिया में बाधक नहीं होगा। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि वह मकान खरीदारों, जेपी समूह और संबंधित बैंकों के साथ पूरा न्याय करने के लिये 'असाधारण स्थिति' में यह निर्देश दे रहे हैं।

पीठ ने कहा कि हम दिवाला समाधान प्रक्रिया को कांफॉरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आज से 90 दिन के भीतर पूरा करने का निर्देश देते हैं। इसमें से पहले 45 दिन में दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत सिर्फ सुरक्षा रियल्टी और एनबीसीसी से संशोधित समाधान योजना मंगाया जा सकेगा। न्यायालय ने कहा कि ये दोनों जेपी इंफ्राटेक के लिए अंतिम बोली लगाने वालों में थे। दोनों ने पहले भी समाधान योजना पेश की थी और वे बातचीत के बाद कर्जदाताओं की समिति के समक्ष अपनी संशोधित योजना, यदि ऐसा आवश्यक हुआ, पेश करें और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण को सौंपें। पीठ ने कहा कि दूसरे चरण की 45 दिन की अवधि 21 दिसंबर, 2019 से शुरू हो रही है। इसमें किसी भी तरह की कटिंगों को दूर करने और निर्णय करने वाले प्राधिकार को उचित आदेश पारित करने के लिये समय दिया गया है।

**खास बातें**  
कोर्ट ने कहा, परिवर्तित समाधान योजना सिर्फ एनबीसीसी और सुरक्षा रियल्टी से ही मंगायी जाएगी  
मकान खरीदारों, जेपी समूह और संबंधित बैंकों के साथ पूरा न्याय करने के लिये 'असाधारण स्थिति' में दिए निर्देश



**सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के बारे में स्थिति रिपोर्ट मांगी**

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और नौ राज्यों से केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) तथा राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के बारे में अपने पहले के आदेश के अनुपालन में बुधवार को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश उस वक्त दिया जब आरटीआई कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज और अन्य ने कहा कि शीर्ष अदालत के पहले के आदेशों पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। इस मामले में याचिका दायर करने वाली भारद्वाज और अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद केन्द्र और राज्य सरकारों ने व्ययजित और छोटे गये उम्मीदवारों के नाम अभी तक अपनी वेबसाइट पर जारी नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्यों को केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में रिक्त स्थानों पर अभी नियुक्तियां करनी हैं। शीर्ष अदालत ने केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के बारे में कई निर्देश दिये थे और कहा था कि इनमें नियुक्ति की प्रक्रिया पद रिक्त होने से एक से दो महीने पहले ही शुरू की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा था कि मुख्य सूचना आयोग का पद ऊंचे पायदान पर होता है और इस पद के लिये भी नियुक्ति की प्रक्रिया उन्हीं शर्तों के अनुसार होनी चाहिए जो मुख्य निर्वाचन आयोग के मामले में अपनायी जाती है। न्यायालय ने सात राज्यों-महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल, ओडिशा और कर्नाटक- से जानना चाहा था कि वे कितने समय में अपने यहां सूचना आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर लेंगे।

**राहुल के चौकीदार चोर है बयान पर कभी भी आ सकता है फैसला**

एजेंसी नई दिल्ली।

लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ दल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है कहकर संबोधित किया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान अपने को देश का चौकीदार बताया था। इसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार ही चोर है जिस पर उनके खिलाफ केस फाइल किया गया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुनिश्चित रख लिया जो कभी भी सुनाया जा सकता है।



सुको ने पूरी की सुनवाई, कभी भी सुनाया जा सकता है निर्णय

था कि एक राजनैतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद पूरे देश में इस शब्द को लेकर ही आंदोलन शुरू हो गया था। राहुल गांधी ने अपने तीन पेज के ताजा मानीफेस्टो में कहा है कि कोर्ट का अपमान करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी, न ही उन्होंने जानबूझ कर ऐसा किया और न ही अदालत की न्यायिक प्रक्रिया में वो किसी तरह की बाधा पहुंचाना चाहते थे। भूलवश उनसे ये गलती हो गई। लिहाजा इसके लिए वो क्षमा चाहते हैं।

**यात्री विमान में करने लगा योग, 'असुविधा' के कारण उतारा गया**

चेन्नई। 'मानसिक रूप से ठीक नहीं' दिख रहे एक यात्री को बुधवार को कोलंबो जाने वाले विमान से उस समय उतारा दिया गया जब विमान में ही वह योग और व्यायाम करने लगा जिससे दूसरे यात्रियों को 'असुविधा' होने लगी। चालक दल के सदस्यों ने यात्री से ऐसा न करने का लगातार अनुरोध किया लेकिन वह माना नहीं। पुलिस ने बताया कि वह कोलंबो जाने के लिए वाराणसी से चेन्नई आया था। उन्होंने बताया कि यात्री के कारण दूसरे लोगों को 'असुविधा' होने के बाद उसे सीआईएसएफ की मदद से विमान से उतार दिया गया। सीआईएसएफ ने बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया। निजी एयरलाइन ने उसका किराया भी वापस कर दिया। उन्होंने बताया कि यात्री के खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली। इस लिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है लेकिन उसे यहां श्रीलंका के उप उच्चायुक्त को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस ने बताया कि उसके पास श्रीलंका और अमेरिका दोनों के पासपोर्ट हैं।

**कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने किया साफ देवगौड़ा ने समर्थन देने को लेकर नहीं किया कोई फोन**

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने बुधवार को साफ किया कि उनकी जद (एस) प्रमुख एच डी देवगौड़ा से फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई है। येदियुरप्पा का यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बीच आया है, जिमें कहा गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने समर्थन का आश्वासन देने के लिए उन्हें हाल में फोन किया था। येदियुरप्पा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि इसमें कोई सचाई नहीं है। प्रधानमंत्री रह चुके देवगौड़ा के पास सही और गलत का अंतर करने की क्षमता है। मैंने उनके नाम का कहीं जिक्र नहीं किया है, कभी ऐसा करूंगा भी नहीं। फोन पर बातचीत को लेकर कुछ मीडिया हलकों में आई खबरों के बाद देवगौड़ा ने कल शाम एक बयान जारी कर इसे खारिज किया और इसे सचाई से दूर करार दिया। हालांकि, भाजपा को लेकर जद (एस) के रुख में आई नरमी और कर्नाटक में मध्यावधि चुनाव नहीं चाह रहे देवगौड़ा ने मंगलवार को कहा कि वह चाहते हैं कि येदियुरप्पा नेतृत्व वाली सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे क्योंकि इससे उन्हें (देवगौड़ा) अपनी पार्टी को मजबूत करने का वक्त मिलेगा।



बाद देवगौड़ा ने कल शाम एक बयान जारी कर इसे खारिज किया और इसे सचाई से दूर करार दिया। हालांकि, भाजपा को लेकर जद (एस) के रुख में आई नरमी और कर्नाटक में मध्यावधि चुनाव नहीं चाह रहे देवगौड़ा ने मंगलवार को कहा कि वह चाहते हैं कि येदियुरप्पा नेतृत्व वाली सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे क्योंकि इससे उन्हें (देवगौड़ा) अपनी पार्टी को मजबूत करने का वक्त मिलेगा।

**सीबीआई ने मध्यप्रदेश से कांग्रेस विधायक के घर की तलाशी ली**

नई दिल्ली। बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मध्यप्रदेश से कांग्रेस विधायक रघुराज सिंह कसाना के मुर्ना स्थित घर की तलाशी ली। धोखाधड़ी से विधायक के भांजे के कथित तार जुड़े हुए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सीबीआई ने यूको बैंक से कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण लेने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 8.08 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में कसाना के भांजे कुशल सिंह पर मुकदमा दर्ज किया है। कसाना ने फोन पर बताया कि मेरा भांजा गोदाम चलाता है जिसके लिए उसने ऋण लिया था।

**ईपीएफओ के दायरे में आने वाले पेंशनधारकों ने की घोषणा न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए की मांग को लेकर होगा आंदोलन**

एजेंसी नई दिल्ली। ईपीएफओ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनएस) ने पूरे देश में आंदोलन करने का निर्णय किया है। एनएस ने बुधवार को कहा कि संगठन में शामिल पेंशनभोगी दिल्ली में अगले माह रास्ता रोको अभियान चलाएंगे। एनएस की राष्ट्रीय संयोजक और अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा, तीस-तीस साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मंद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में अधिकतम 2,500 रुपये ही मिल रहे हैं। इसके कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर-बसर करना कठिन है। एनएससी कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 95 के दायरे में आने वाले कामगारों के लिये मासिक मूल पेंशन के रूप में 7,500 रुपए के साथ इस पर महंगाई भत्ता देने, कर्मचारियों के पति/पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने

समेत अन्य मांग कर रहे हैं। इसके अलावा संगठन ने पेंशन के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू करने तथा ईपीएस 95 के दायरे में नहीं आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी 5,000 रुपए मासिक पेंशन देने की मांग की है। राउत ने कहा, हम लंबे समय से सरकार से कर्मचारी पेंशन योजना

(ईपीएस), 95 के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक किये जाने तथा उस पर महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अपनी मांगों के समर्थन में पेंशनभोगियों ने दिल्ली में सात दिसंबर से रास्ता रोकी आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया है। इसके अलावा पेंशनभोगी गांव से लेकर राज्य स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। गांव से लेकर राजधानी तक आंदोलन संगठन के बयान के अनुसार पेंशनभोगी एक नवंबर से 10 नवंबर तक गांव से लेकर राज्य स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। चार से छह दिसंबर तक वे दिल्ली में आंदोलन

करेंगे। मांगें नहीं मांगने पर वे सात दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रास्ता रोकी आंदोलन शुरू करेंगे। समिति का दावा है कि करीब 65 लाख ईपीएस पेंशनभोगी उनके साथ जुड़े हैं। मूल वेतन का 12 फीसदी उल्लेखनीय है कि ईपीएस, 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं, नियोजता के 12 प्रतिशत हिस्से में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16 प्रतिशत का योगदान करती है।



कहा, प्याज की जमाखोरी पर रखी जा रही है कड़ी नजर

**बारिश से फसल बर्बाद**

पासवान ने ट्वीट कर कहा कि प्याज उत्पादक राज्यों, खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में अधिक बारिश के कारण फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। प्याज की दुलाई में भी परेशानी आ रही है। सरकार अपने बफर स्टॉक से लगातार प्याज की आपूर्ति कर रही है।

**ईरान, अफगानिस्तान से प्याज आयात की तैयारी**

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बाजार में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए इजिप्ट, टर्की, ईरान और अफगानिस्तान से प्याज आयात करने की प्रक्रिया जारी है। विदेश और कृषि मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि इन देशों से बात कर निजी कंपनियों को प्याज के आयात की सुविधा उपलब्ध कराए।

दो टूकों की मिड्ट में चालक और खलासी की मौत जयपुर। जयपुर गामीण के दूध थाना क्षेत्र में बुधवार को दो टूकों की मिड्ट में एक टूक के चालक और खलासी की मौत पर ही मौत हो गई।

**पर्स पॉलिमर्स लिमिटेड**  
CIN No. L25209DL1971PLC005535  
पंजी. कार्यालय: ए-97/2, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020, भारत  
Tel. No.: +91-11-47385300  
Fax : +91-11-47480746  
Email : pers@persolnet.net  
www.persolnet.net

**सूचना**  
सेबी (हिरिदय ऑब्जेक्टिव्स एवं घोषणा अपेक्षार) नियमों, 2015 के नियम 47 के साथ पंतिन नियम 29 के तहत पूरे दाय खया दौ जाती है कि अन्य बानों के अलावा 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाहीअर्थ वर्ष हेतु कम्पनी के अअंकित रिवातों परिणामों पर विचार करने और अनुमदन करने के लिये कम्पनी के निदेशक मंडल को एक बैंक ब्युटयुलिवर, 14 नवम्बर 2019 को ए-97/2, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 में आवंजित की जानी धारित है।  
उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.persolnet.net से देखी जा सकती है और एड्रेस एम्बेडेड वेबसाइट जहां कम्पनी के इडिटीड नेयर सूचीबद्ध हैं अथवा www.bseindia.com (बीएसई लिमिटेड) या www.enseindia.com (नेशनल सेक्युरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) से भी देखी जा सकती है।  
कृते पर्स पॉलिमर्स लिमिटेड  
हस्ता/-  
दिनांक: 06 नवम्बर 2019  
वित्तीय गुणा  
निर्देशक एवं अपालन अधिकारी

**फॉर्च्यून इंटरनेशनल लिमिटेड**  
CIN : L52324DL1981PLC012033  
पंजी. कार्यालय : जी-4, कल्याण्टी सेंटर, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028  
Tel: 011-25774212  
Email: rekha.srivastava2016@gmail.com  
Website: www.fortuneinternational.in

**सूचना**  
कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पंतिन सेबी (हिरिदय ऑब्जेक्टिव्स एवं डिस्कलर आवश्यकताएं) नियमों, 2015 के नियम 29, 33 और 47 के तहत पूरे दाय सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाहीअर्थ वर्ष हेतु कम्पनी के स्टैंडअलोन एवं समेकित अअंकित रिवातों परिणामों और परिष्कारियों और रिवातियों के विवरण पर विचार करने और अनुमदन करने के लिये कम्पनी के निदेशक मंडल को एक बैंक ब्युटयुलिवर, 14 नवम्बर 2019 को अप. 3.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आवंजित की जाएगी।  
इसके अतिरिक्त, कम्पनी पुष्ट करती है कि कम्पनी की ऑडिटेड आचर सीतल के उखर ए के अन्वय इन्डाइडर्स द्वारा ट्रेडिंग गुलेट करने, मॉडिटर करने और रिपोर्ट के लिये कम्पनी की सिम्बॉलीटिव में वॉलिंग हेतु ट्रेडिंग सिंडो कम्पनी की उक्त सीतल के तहत आने वाले पदानात व्यक्तियों हेतु बुक्रवार 8 नवम्बर 2019 से ब्युटयुलिवर 14 नवम्बर, 2019 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेगी।  
निदेशक अधिक विवरण हेतु कम्पनी को वेबसाइट (www.fortuneinternational.in) तथा स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (www.bseindia.com) पर स्पर्क सकते हैं।  
कृते फॉर्च्यून इंटरनेशनल लिमिटेड  
हस्ता/-  
निवेदन भारद्वाज  
प्रबंध निदेशक  
स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 06.11.2019  
सीआईएन-00040191

**SAINIK FINANCE & INDUSTRIES LIMITED**  
Regd. Office: 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi - 110035  
CIN: L26912DL1991PLC045449

**NOTICE**  
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be convened on Tuesday, 12th day of November, 2019 at 11.30 AM at 7th Floor, Office Tower, Ambience Mall, N.H.-48, Gurugram-122002 Inter alia, to consider & approve Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on September 30, 2019 along with Statement of Assets & Liabilities and Cash Flow for the half year ended September 30, 2019, to place before the Board the Limited Review Report given by statutory auditors of the Company on Unaudited Financial Results for the quarter ended on September 30, 2019 and to do any other business with the permission of the Chair as may be deemed fit for the business of the Company.  
This said information is also available on the Company's website at www.sainikfinance.com and may also be available on the website of the stock exchange at www.bseindia.com.  
By the order of the Board  
For Sainik Finance & Industries Limited  
Sd/-  
Place: Gurugram Rudra Sen Sindhu  
Date: 6th November, 2019 Director